1773 के रेग्युलेटिंग अधिनियम की पृष्ठभूमि अथवा इसके कारण

1. ब्रिटिश समाज के प्रभावी वर्ग नई व्यापारी कंपनी के एकाधिकार का विरोध कर रहे थे तथा उनका मानना था कि भारत से प्राप्त आर्थिक लाभ में उन्हें भी हिस्सा मिलना चाहिए।
2. ब्रिटेन में मुक्त व्यापार के समर्थक कंपनी एकाधिकार का विरोध कर रहे थे।
3. भारत से लाए नए धन ने ब्रिटिश राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार को बल प्रदान किया था क्योंकि संसद की सीटें खरीदी जाने लगी थीं।
4. **तात्कालिक कारण:**- 1772 ई० में आर्थिक घाटों से परेशान होकर ब्रिटिश कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को कर्ज के लिए अर्जी दी। वस्तुत: ब्रिटिश संसद के लिए आश्चर्य का विषय यह था कि जब कंपनी निर्धन है तो कंपनी के अधिकारी धनी कैसे हो गए?

महत्वपूर्ण प्रावधान:-

1. इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने पहली बार कंपनी के मामले में सीधा हस्तक्षेप किया। अर्थात प्रत्येक वर्ष कंपनी को अपने आर्थिक, वित्तीय और सैनिक विवरण ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत करने थे।
2. लंदन में डायरेक्टर्स की संख्या 18 से बढ़ाकर 24 कर दी गई।
3. बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर-जनरल कहा जाने लगा तथा उसे मद्रास एवं बम्बई स्थित ब्रिटिश अधिकारियों के अधीक्षण का भी अधिकार दिया गया।
4. गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए एक चार सदस्यीय परिषद् का गठन किया गया। किसी मुद्दे पर परिषद के सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में गवर्नर-जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था।
5. इस अधिकार के आधार पर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तथा इस कोर्ट की अधिकारिता कलकत्ता तक ही सीमित थी।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

उद्देश्य (कारण):-

1. इसका एक उद्देश्य रेग्युलेटिंग अधिनियम की त्रुटियों को दूर करना तथा भारत में ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद का बेहतर नियंत्रण स्थापित करना था।
2. 1783 की "पेरिस की संधि" के आधार पर ब्रिटेन ने अपने पुराने साम्राज्य (अमेरिका) को खो दिया था। अत: इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ब्रिटेन के लिए एक नए साम्राज्य की स्थापना करना था।

महत्वपूर्ण प्रावधान:-

1. भारत में कंपनी को दोहरे नियंत्रण में रख दिया गया अर्थात "कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर" एवं "बोर्ड ऑफ कंट्रोल"। यह एक छ: सदस्यीय परिषद् थी जो ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधित्व करती थी।
2. गवर्नर-जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई, ताकि अपनी कौंसिल के समानांतर गवर्नर-जनरल की स्थिति अधिक मजबूत हो।
3. मद्रास और बम्बई स्थित ब्रिटिश क्षेत्रों को बंगाल के अधीक्षण में लाया गया था। युद्ध, कूटनीति एवं वित्तीय मामले में क्षेत्रीय गवर्नरों पर गवर्नर-जनरल की सर्वोच्चता स्थापित की गई।

महत्व:-

1. पिट्स इण्डिया एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कंपनी की गतिविधियों पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित किया।
2. एक दृष्टि से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1858 ई० में भारत सचिव के पद का पूर्वगामी बन गया।
3. मद्रास तथा बम्बई के मामले में बंगाल की अधिकारिता अधिक स्पष्ट हुई।

■■■